

## उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कमी

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में पंजाब एवं हरियाणा [उच्च न्यायालय](#) न्यायाधीशों की कमी और नयुक्तियों में देरी के कारण न्यायिक संकट का सामना कर रहा है।

### मुख्य बटि

- न्यायाधीशों की कमी :
  - [पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय](#) स्वीकृत 85 न्यायाधीशों के स्थान पर केवल 54 न्यायाधीशों के साथ कार्य कर रहा है, जिसके कारण 31 न्यायाधीशों की कमी हो गई है।
  - नवंबर 2022 के बाद से कोई नई नयुक्ति नहीं की गई है।
  - वर्ष 2025 तक 5 और न्यायाधीश सेवानवित्त हो जाएंगे तथा वर्ष 2024 तक 2 की सेवानवित्त होने की आशा है।
- लंबित मामले :
  - न्यायालय के समक्ष 4,33,253 मामले लंबित हैं, जिनमें 1,61,362 अपराधिक मामले [जीवन और स्वतंत्रता](#) से संबंधित हैं।
  - सभी लंबित मामलों में से 26% (1,12,754) 10 वर्ष से अधिक पुराने हैं।
- पदोन्नतियाँ और नयुक्तियाँ :
  - [ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश](#) की श्रेणी से 15 न्यायाधीश पदोन्नतियों के पात्र हैं, लेकिन नयुक्तियाँ लंबित हैं।
  - यह देरी लगभग आठ महीने तक नयिमति मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति के कारण हुई।
- केंद्र सरकार और कॉलेजियम प्रणाली से संबंधित मुद्दे :
  - [सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम](#) ने एक वर्ष पहले पाँच वकीलों की पदोन्नतियों की सफारिश की थी, लेकिन केंद्र ने केवल तीन नयुक्तियों को अधिसूचित किया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपनी सफारिश दोहराए जाने के बावजूद दो नयुक्तियाँ लंबित हैं।
- जटिल नयुक्ति प्रक्रिया :
  - नए नामों की सफारिश की जाने पर भी नयुक्ति प्रक्रिया अपनी जटिलताओं के कारण धीमी हो जाती है। इन सफारिशों को राज्य सरकारों, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम और केंद्रीय कानून मंत्रालय से गुज़रना आवश्यक होता है, अंततः राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करनी होती है।

## उच्च न्यायालय (HC) के न्यायाधीशों की नयुक्ति

- संविधान का अनुच्छेद 217: इसमें कहा गया है कि किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नयुक्ति राष्ट्रपति द्वारा [भारत के मुख्य न्यायाधीश \(CJI\)](#), [राज्य के राज्यपाल](#) के परामर्श से की जाएगी।
  - उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किये बिना किसी अन्य न्यायाधीश की नयुक्ति नहीं की जाती है, सविय मुख्य न्यायाधीश के।
- परामर्श प्रक्रिया: उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सफारिश मुख्य न्यायाधीश और दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों वाले [कॉलेजियम](#) द्वारा की जाती है।
  - हालाँकि, यह प्रस्ताव संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अपने दो वरिष्ठतम सहयोगियों के परामर्श से प्रस्तुत किया जाता है।
  - सफारिश मुख्यमंत्री को भेजी जाती है, जो राज्यपाल को प्रस्ताव केन्द्रीय कानून मंत्री को भेजने की सलाह देते हैं।
  - उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नयुक्ति संबंधित राज्यों के बाहर से मुख्य न्यायाधीश रखने की नीतिके अनुसार की जाती है।
  - पदोन्नतियों पर नरिणय कॉलेजियम द्वारा लिया जाता है।
- तदर्थ न्यायाधीश: सेवानवित्त न्यायाधीशों की नयुक्ति का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 224A के अंतर्गत किया गया है।
  - इस अनुच्छेद के तहत, किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसी भी समय, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, उस न्यायालय या किसी अन्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर रह चुके किसी व्यक्ति से उस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने का अनुरोध कर सकता है।
  - सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों से निपटने के लिये [सेवानवित्त न्यायाधीशों की नयुक्ति](#) पर ज़ोर दिया।
  - इसमें तदर्थ न्यायाधीश की नयुक्ति और कार्यप्रणाली के लिये भावी दिशा-निर्देशों को मौखिक रूप से रेखांकित किया गया।
- कॉलेजियम प्रणाली:

- यह न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली सर्वोच्च न्यायालय के नरिणयों के माध्यम से वकिसति हुई है, न कि **संसद** के अधनियिम या संबधिन के प्रावधान द्वारा ।
- **प्रणाली का वकिस:**
  - **प्रथम न्यायाधीश मामला (वर्ष 1981):** इसने घोषणा की कि न्यायकि नयुक्तयों और स्थानांतरणों पर भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की सफिरशि की "प्राथमकिता" को "ठोस कारणों" से अस्वीकार कयि जा सकता है ।
    - इस नरिणय से अगले 12 वर्षों तक न्यायकि नयुक्तयों में कार्यपालकि को न्यायपालकि पर प्राथमकिता मलि गयी ।
  - **द्वितीय न्यायाधीश मामला (वर्ष 1993):** सर्वोच्च न्यायालय ने कॉलेजयिम प्रणाली की शुरुआत की, जसिमें कहा गया कि "परामर्श" का वास्तवकि अर्थ "सहमती" है ।
    - इसमें कहा गया कयिह मुख्य न्यायाधीश की व्यक्तगित राय नहीं है, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के दो वरषिठतम न्यायाधीशों के परामर्श से बनाई गई संस्थागत राय है ।
- **तृतीय न्यायाधीश मामला (वर्ष 1998):** राष्ट्रपति के संबर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने कॉलेजयिम को पाँच सदस्यीय नकिय में वसितारति कर दयि, जसिमें मुख्य न्यायाधीश और उनके चार वरषिठतम सहयोगी शामिल थे (उदाहरण के लयि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के लयि) ।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/high-court-judges-shortage>

